यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- चम्पावत के माह 02/2018 से 01/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री एस. के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 08.02.2019 से 20.02.2019 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दयाशंकर, व. लेखापरीक्षक एवं श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.05.2018 से 07.03.2018 तक श्री सुनील कल्ला, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2016 से 01/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः विभाग का सृजन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के नाम से सन 1972 में हुआ। उत्तर प्रदेश से विभाजित उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण कार्य का दायित्व विभाग को सौपा गया है। विभागीय पुनर्गठन के पश्चात ग्रामीण निर्माण विभाग के नाम से विभाग वर्तमान में विभिन्न विभागों के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण, नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण, पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुन:निर्माण एवं विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण आदि कार्य जो सुदूर आँचलों में स्थित है, का निष्पादन करवाया जाता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर- स्थापना				
	आवंटन धनराशि	व्यय धनराशि	बचत	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	125.33	108.76	16.57	342.63	958.52	1301.15	870.41	430.74
2016-17	137.41	136.81	0.60	430.74	1274.17	1704.91	921.26	783.65
2017-18	143.42	143.40	0.02	783.65	572.40	1356.05	709.71	646.34
2018-19 (till 01/2019)	160.94	45.56	115.38	646.34	903.80	1550.14	700.27	849.87

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं **(रु लाख में)**

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	

प्राप्तियाँ ---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ		---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय		---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष		---	---	---	---	---

iii). विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

<u>तकनीकी संवर्ग 1).</u> मुख्य अभियंता (स्तर – 1), 2).मुख्य अभियंता (स्तर- 2), 3). अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार), 4). अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार), 5). सहायक अभियन्ता, 6).कनिष्ठ अभियन्ता, 7).मानचित्रकार

<u>गैर-तकनीकी संवर्ग:</u> 1). वित्त नियंत्रक, 2). खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी, 3). प्रशासनिक अधिकारी, 4). वैयक्तिक सहायक, 5). प्रधान सहायक, 6). वरिष्ठ सहायक, 7). कनिष्ठ सहायक, 8). अनुसेवक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 02/2018 से 01/2019 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- चम्पावत के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

vi). खण्ड के भण्डार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह ..... स्टॉक शून्य है ..... तथा 01/2019तक की गई।

vii). फार्म 51: माह ..... तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु में)

भाग प्रथम रु (+) 14,62,060/-

भाग द्वीतीय रु (+) 15,115/-

viii). खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष माह 01/2019 के अन्त में (धनराशि रु में)

क). प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम NIL

ख). सामग्री क्रय NIL

ग). नकद परिशोधन NIL

घ). निक्षेप रु (+) 8,49,87,283/-

ड़). भण्डार NIL

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-01- बिना किसी स्वीकृति के रु. 37.38 लाख का व्यायाधिक्य ।

According to FHB Vol-6 Rule 381 "No material aIteration in sanctioned (still less in standard) designs may be made by a divisional officer in carrying out any work, without the approval of the superintending engineer. Should any alteration of importance, involving additional expense, be considered necessary, a revised or supplementary estimate should be submitted for sanction. In urgent cases, where the delay thus caused would be inconvenient, an immediate report of the circumstances must be made to the superior authority and deal with as the case may require. In the case of material modifications of or deviations from a sanctioned estimate it is the duty of the executive officers to see that sanction of the competent authority is obtained"

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, चम्पावत के निर्माण सम्बन्धी के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि-

(1) उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या: 14/XII-2/2016/83(04)/2014 दिनाँक 04 फरवरी 2016 के अनुसार लोहाघाट दीगालीचौड़ रोड बसेड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण (ल.-1.525 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत ₹169.72 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसको अधीक्षण अभियन्ता द्वारा रु 165.60 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।तत्पश्चात शासनादेश संख्या: 91(RR&DD)(1)/XII-2/2017/83(04)/2014 दिनाँक 07 सितम्बर 2017 द्वारा संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।जिसको दिनाँक- 22-12-2017 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।कार्य दो स्टेज में पूर्ण किया जाना था।स्टेज-1 के कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर 2 अनुबंधों का गठन किया गया था । स्टेज-2 के कार्यों एवं स्टेज-1 के अवशेष कार्यों हेतु रु 63.03 लाख का अनुबंध किया गया।लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत निम्नवत कार्य अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा में किए गए। जिसका विवरण निम्नवत है-

Agreement No.	Item of work	Bond Qty.	Executed Qty.	Excess Qty.	Percentage (%)	Rate	Amount
17/SE /2017-18	RR Stone Masonary laid in 1:6	546.64	725.17	178.53	32.66	2200	392766
	CC M-20 in top Surface	1.2	4.92	3.72	310	5200	19344
	Plain Concrete M-10	9.48	60.92	51.44	542.62	4900	252056
	RCC M-25 Grade in Scupper	12	43	31	258.33	6200	192200
	Reinforced HYSD Bars	11	20.78	9.78	88.91	4900	47922
	Total(Contract is at below 45%)(A)						497358
	Cement Plum masonary* (B)	121.5	469.02	347.52	286	2508.38	871858
Total(A+B)							**1369216**

(2) जनपद चंपावत के अंतर्गत अमोली –खटोली से लडाबोरा तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । उक्त कार्ये के अंतर्गत रु. 120.56 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा कुल 1300 किमी॰ लंबाई मे कार्ये

किया जाना था । अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण निर्माण विभाग परिमंडल पिथौंरागढ़ द्वारा उक्त कार्ये हेतु रु. 119.35 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्ये दो चरणों मे किया जाना था जिसमे स्टेज-1 के अंतर्गत पहाड़ कटान, ड्रेनज एवं क्रॉसड्रेनज का कार्ये ,ब्रेस्टवाल एवं रिटेनिंगवाल का निर्माण आदि कार्ये तथा स्टेज-2 के अंतर्गत पत्थर भरान एवं पीसी सीलकोट का कार्ये किया जाना था । उक्त कार्ये हेतु बनाए गए आगणन के अनुसार स्टेज-1 के कार्यों हेतु रु.71.48 लाख की धनराशि तथा स्टेज-2 के कार्यों हेतु रु.40.75 लाख की धनराशि आबंटित की गयी थी । कार्ये के सम्पादन हेतु शासन द्वारा माह दिसंबर 2015 से फरवरी 2016 की अवधि के मध्य कुल 60.98 लाख की धनराशि इकाई को उपलब्ध करा दी गयी थी । लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत निम्नवत कार्य अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा में किए गए। जिसका विवरण निम्नवत है-

Name of Item	Qty.as per estimate	Exicuted Qty	Diff.	Rate of Item	Amount (Rs.)
RR Stone masonry laid 1:6	531.20	1242.35	711.15	2722.10	1935821
RCC in substructure 1:2:4	11.10	16.99	5.89	5244.80	30892
Construction of pucca scuppe	35.40	54.00	18.60	21128.90	392998
Total Amount					**23,69,711**

इस प्रकार अधिक मात्रा मे किए गए कार्यों को कराये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी।परंतु इस प्रकरण मे इकाई द्वारा सक्षम अधिकारी को सूचित नहीं किया गया तथा कोई अनुमति भी प्राप्त नहीं की गयी थी। इस प्रकार इस अधिक मात्रा हेतु रु. 37.38(13.69+23.69) लाख का अधिक व्यय किया गया था जो किसी भी स्वीकृति के अभाव मे पूर्णतः अनुचित था ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि कार्य संपदानोपरांत विचलन स्वीकृत करा लिया जायेगा,यद्यपि उच्चाधिकारियों की पूर्व स्वीकृति पत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः उच्चाधिकारिओ की बिना किसी पूर्व स्वीकृति के रु.37.38(13.69+23.69) लाख का व्यायाधिक्य किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-02- अनुबंधित समयावधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप दंडात्मक धनराशि रु. 21.24 लाख की वसूली नहीं किया जाना।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, चंपावत के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों के अंतर्गत अनुबंध किए गए थे । अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 मे समाहित शर्तों के अनुसार शिडयूल A मे दर्शाये माइलस्टोन के अंतर्गत कार्य सम्पन्न किया जाना था तथा विपरीत स्थिति मे बिलंब से कार्य किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दंडात्मक धनराशि अधिरोपित कर वसूले जाने की व्यवस्था की गयी थी ,जिसके अंतर्गत प्रथम माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 2.5% राशि,द्वितीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 3.5% राशि, तथा तृतीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 4.0% राशि ठेकेदार के बिलो से रोकी जाएगी तथा यदि सम्पूर्ण कार्य चतुर्थ माइल स्टोन की अवधि मे पूरा नहीं किया जाता है तो रोकी गयी सम्पूर्ण धनराशि (अनुबंधित राशि का 10%) जब्त कर ली जाएगी एवं अन्यथा की स्थिति मे ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी । लेखा परीक्षा पाया गया कि-

(1) जनपद चंपावत के अंतर्गत अमोली-खटोली से लडाबोरा तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 1.300 किमी थी । कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । इस कार्ये हेतु रु 119.35 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । स्टेज-1 के अवशेष कार्य तथा स्टेज-2 के कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 2 अनुबंधों का गठन किया गया था । संलग्नक-1 के अनुसार दोनों अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य माह 10/2018 मे पूर्ण किए जाने थे परंतु उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 3.5 माह अधिक की अवधि लेकर भी अपूर्ण थे । अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 4.97 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी । परंतु इकाई द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

(2) शासनादेश संख्या: 14/XII-2/2016/83(04)/2014 दिनाँक 04 फ़रवरी 2016 द्वारा लोहाघाट दिगलीचौड़ से बसेड़ी तक मोटर मार्ग (ल.-1.525 किमी.) के निर्माण हेतु रु169.72 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य के अंतर्गत कुल रु 169.72 लाख अवमुक्त किए जा चुके थे। स्टेज-1 के अवशेष कार्य तथा स्टेज-2 के कार्यों के सम्पादन हेतु संयुक्त रूप से अधीक्षण अभियंता स्तर के 1 अनुबंध का गठन किया गया था । संलग्नक-2 के अनुसार अनुबन्ध के अंतर्गत कार्ये माह 07/2016 मे पूर्ण किए जाने थे परंतु उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 07 माह अधिक की अवधि लेकर भी अपूर्ण थे । अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 6.30 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी । परंतु इकाई द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

(3) जनपद चंपावत के ब्लॉक लोहाघाट के अंतर्गत लोहाघाट –किमतोली मोटररोड किमी.08 से नकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । उक्त कार्ये के अंतर्गत रु. 248.36 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा कुल 2.325 किमी॰ लंबाई मे कार्य किया जाना था । अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण निर्माण विभाग परिमंडल पिथोंरागढ़ द्वारा उक्त कार्य हेतु रु. 247.80 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्य के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । स्टेज-1 के अवशेष कार्य तथा स्टेज-2 के कार्य के सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियंता स्तर के 01 अनुबंध का गठन किया गया था । संलग्नक-3 के अनुसार अनुबन्ध के अंतर्गत कार्य माह 07/2018 मे पूर्ण किया जाना था परंतु उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 07 माह अधिक की अवधि लेकर भी अपूर्ण था । अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 9.97 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी । परंतु इकाई द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ठेकेदार द्वारा वर्तमान तक समयवृद्धि हेतु आवेदन नहीं दिया गया है । आवेदन प्राप्त होने पर कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । दंडात्मक धनराशि की वसूली ठेकेदार के अंतिम देयक /जमानत धनराशि से कर ली जाएगी । इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है तथा धनराशि को वसूल करने का आश्वासन दिया गया है अतः कुल ₹ 21.24 लाख(₹ 4.97+₹ 6.30+₹ 9.97=₹ 21.24 लाख) की दंडात्मक धनराशि की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

संलग्नक -1

अनुबंध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्ये पूर्ण करने की तिथि	कार्ये पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब(01/19तक)	अनुबंध की धनराशि	अध्यतन भुगतान की राशि
01/ईई-2018/19	27.10.18	अपूर्ण / 3.5माह	2486688	838340
02/ईई-2018/19	27.10.18	अपूर्ण / 3.5माह	2486253	1035131
			49,72,941	18,73,471

संलग्नक -2

फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	अनुबंध के अनुसारकार्य पूर्ण करनेकी तिथि	कार्य पूर्ण करने कीवास्तविकतिथि/ बिलंब (11/2018)	अनुबंध की धनराशि	अद्दतन भुगतान की राशि
भुवन चंद्र नरियाल	17/SE/2017-18	13-07-2016	अपूर्ण/07 माह	6303697.41	5689247.00
योग				**6303697.41**	**5689247.00**

संलग्नक -3

अनुबंध संख्या	अनुबंधकेअनुसार कार्ये पूर्ण करने की तिथि	कार्ये पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब(01/19तक)	अनुबंध की धनराशि	अध्यतन भुगतान की राशि
16/SE-2017/18	13.07.18	अपूर्ण / 07माह	9970996	5859371
			99,70,996	

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अधिक भुगतान का प्रकरण ।

उत्तराखण्ड के शासन आदेश संख्या-395/XXVII/(7) /2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के बिन्दु सं-12 के अनुसार "संशोधित वेतन ढांचे में पदोन्नति दो प्रकार से सम्भव हो सकती है-

1. एक ही वेतन बैंड के अन्दर एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति।
2. एक वेतन बैंड से दूसरे वेतन बैंड में पदोन्नति।

दिनाँक 01 जनवरी 2006 को या उसके पश्चात संशोधित वेतन ढांचे में एक ग्रेड पे से दूसरे ग्रेड पे में पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा।

वेतन बैंड में वेतन में अनुमन्य ग्रेड वेतन जोड़कर इसके 03 प्रतिशत की धनराशि को 10 के अगले गुणांक में पूर्णांकित किया जाएगा ।इस धनराशि को वेतन बैंड में मौजूदा वेतन में जोड़ दिया जाएगा।इसके बाद वेतन बैंड में इस वेतन के अतिरिक्त पदोन्नत पद के समकक्ष ग्रेड वेतन में वेतन प्रदान किया जाएगा।जहाँ पदोन्नति में वेतन बैंड में परिवर्तन भी हो ऐसी स्थिति में इसी प्रविधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथापि प्रोन्नति के ठीक पूर्व प्राप्त वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद जहाँ वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जायेगा।"

कार्यालय में सेवापुस्तिकाओं की नमूना जांच में पाया गया कि श्री कुन्दन सिंह अधिकारी अपर सहायक अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या-128 दिनाँक -28-4-11 द्वारा अपर सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नत किया गया। तथा अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग प्रखण्ड-ऊधमसिंह नगर के कार्यालय आदेश -971/ग्रा०अ०से०/11-12 दिनाँक -15-10-11 द्वारा दिनाँक 29-04-2011 को वेतनमान 9300-34800 ग्रेड वेतन 4800 में (13950+4800)18750 निर्धारित किया गया था।जबकि उक्त शासनादेशानुसार दिनाँक- 29-04-2011 को वेतन (वेतन बैंड +वेतन वृद्धि +ग्रेड वेतन = 11800+480+4800)17080 निर्धारित किया जाना चाहिए था। जिसके फलस्वरूप श्री कुन्दन सिंह अधिकारी अपर सहायक अभियन्ता को 10/2016 तक अधिक भुगतान किया गया।(विवरण संलग्न)

इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि संबन्धित प्रकरण की जांच कर वसूली की कार्यवाही की जाएगी।अतः श्री कुन्दन सिंह अधिकारी अपर सहायक अभियन्ता का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4- सम्पूर्ण कार्यों का अनुबंध न किए जाने के परिणामस्वरूप रु.6.70 लाख का परिहार्य व्यय।

सामान्यतः एक प्रकृति के सम्पूर्ण कार्यों हेतु एक अनुबंध किया जाना चाहिए ताकि वांछित कार्यों को उचित दरों पर तथा निर्धारित अवधि मे ही पूर्ण किया जा सके । अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग,चंपावत के अभिलेखों की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि जनपद चंपावत के अंतर्गत अमोली-खटोली से लडाबोरा तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । उक्त कार्य दो चरणों (स्टेज-1एवं स्टेज-2) मे किया जाना था । स्टेज-1 के कार्यों हेतु रु 71.48 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी जिसमे से रु.60.98 लाख की धनराशि शासन द्वारा दिसम्बर 2015 से फरवरी 2016 की अवधि के मध्य इकाई को उपलब्ध करा दी गयी थी । इकाई द्वारा उपरोक्त कार्यों हेतु निविदा प्रक्रिया मे जाकर कोई अनुबंध न करके समस्त कार्य कार्यादेश के माध्यम से करने का निर्णय किया गया । लेखापरीक्षा मे पाया गया कि इकाई द्वारा स्टेज-1 के कार्यों के अंतर्गत कुल 59.91 लाख की धनराशि के 24 कार्यादेश जारी किए गए,परंतु आगणन मे सम्मलित स्टेज-1 के 19 कार्यों मे से मात्र 05 कार्यों मे ही व्यायाधिक्य कर उक्त धनराशि व्यय कर दी गयी जबकि आगणन के 14 कार्यों को ऐसे ही छोड़ दिया गया । बाद में इन कार्यों का पुनरीक्षित आगणन बनाया गया जिसमे स्टेज-1 के छूटे हुए 14 कार्यों मे से 10 कार्यों का पुनः प्रावधान किया गया । पुनरीक्षित आगणन मे पुनः सम्मलित कार्येमदों की दरें पूर्व की दरों से अधिक थी एवं इस प्रकार इकाई द्वारा निम्नवत कार्येमदों मे अनावश्यक व्ययभार बढ़ाया गया। यदि इकाई द्वारा पूर्व मे ही समस्त कार्यों हेतु अनुबंध गठित किया गया होता तो उक्त अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित दरों पर ही ठेकेदार समस्त कार्यों को करने के लिए बाध्य होता परिणाम स्वरूप इस अनुचित व्यायाधिक्य/परिहार्य व्यय से बचा जा सकता था । पुनरीक्षित आगणन के माध्यम से किए जाने वाले कार्यों पर होने वाली व्यायाधिक्य धनराशि का विवरण निम्न है –

कार्यों मद का नाम	मात्रा	नई दरें	पूर्व दरें	अंतर	धनराशि
Excavation in foundation for R/W &B/W	69.57 Cum	266.40	242.00	24.40	1968.00
GSB	919.58	1033.70	824.40	209.30	192468.00
RR stone masonry 1:6	184.22	3110.50	2722.10	388.40	71551.00
RCC Causeway****	---	---	---	---	404045****
Total Amount					6,70,032

***Asperestimate-16.32cum@4628.20=75532&Executed 02no.of09meter@239788.50peritem=479577 and the difference is Rs. 404045/-

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि तत्समय पूर्ण धनराशि प्राप्त न होने के कारण प्राप्त धनराशि के ही कार्य कराये गए । बाद मे पूर्ण धनराशि प्राप्त होने पर अनुबंध गठित कर कार्य कराये जा रहे हैं । इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि स्टेज-1 के कार्यों हेतु आवंटित धनराशि(71.48लाख) की 85% धनराशि (60.98लाख) इकाई को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही उपलब्ध करा दी गयी थी इकाई द्वारा दूरदर्शिता दिखाते हुए सम्पूर्ण कार्यों का अनुबंध गठित कर कार्य कराये जाने चाहिए थे बाद मे अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर ठेकेदार का बकाया भुगतान किया जा सकता था। परंतु इकाई की अदूरदर्शिता के चलते विभाग को रु. 6.70 लाख का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

अतः रु. 6.70 लाख के परिहार्य व्यय का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-01- रु.132.95 लाख की धनराशि के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब किया जाना।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, चंपावत की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि विभिन्न ग्राहक विभागों द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागों द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 24 माह से लेकर 128 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्यों को इतनी अवधि में भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य में न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । इन निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 07 विभागों के 37 निर्माण कार्यों (संलग्नक-1) की रु 132.95 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 02 वर्ष से लेकर 10.5 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि पर्वतीय क्षेत्र कि भोगोलिक परिस्थितियों एवं कभी-कभी कुछ ग्राहक विभागों द्वारा भी पूर्ण धनराशि समय से उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्यों में विलंब होता है धनराशि उपभोग हेतु निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं । इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए तथ्यों को संज्ञान में लिया गया परंतु इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखा परीक्षा द्वारा वर्तमान में निक्षेप पंजिका में दर्ज आंकड़ो को आधार मानकर स्थिति का आंकलन किया गया है एवं उन्ही कार्यों पर आपत्ति की गयी है जिसमें ग्राहक विभागों द्वारा कम से कम 02 वर्ष से लेकर 10.5 वर्ष तक की अवधि पूर्व ही धनराशि एवं जमीन उपलब्ध करा दी थी जो की निर्माण कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय से भी अधिक था एवं यदि कुछ कार्यों को किया जाना संभव नहीं था तो उसकी अवशेष धनराशि तत्समय ही ग्राहक विभाग को वापस कर दी जाने चाहिए थी धनराशि को इतने लंबे समय तक अवरुद्ध रखे जाने का को औचित्य नहीं था । इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु 132.95 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

संलग्नक

विभाग का नाम	कार्य का नाम	धनराशि प्राप्ति का माह	01/2019 को अवशेष धनराशि
स्वास्थ्य	रा० आयुर्वेदिक चिकित्सालय रीठाखाल का निर्माण	08/2009	521452
	रा० आयुर्वेदिक चिकित्सालय चौड़ीकोट का निर्माण	07/2013	806315
	आयुर्वेदिक चिकित्सालय लोहाघाट केआवासीय/अनावासीय भवन	02/2015	236192
ग्राम्य विकास	विकासखण्ड कार्यालय भवन पाटी	03/2013	160620
	ग्रा० स० वाराकोट में विपणन/सामुदायिक भवन का निर्माण	03/2013	204836
	ग्रा०स० वाराकोट ग्रा० वि०अ०/कृषि सहायक हेतु आवासीय भवन	03/2013	228348
	शिपटी सामुदायिक भवन/विपणन केन्द्र का निर्माण	03/2013	168064
	रौलमेल में ग्रा० वि०अ०/कृषि सहायक हेतु आवासीय भवन	03/2013	153449
	शिपटी में ग्रा० वि०अ०/कृषि सहायक हेतु आवासीय भवन	03/2013	91478
	खर्ककार्की में ग्रा० वि०अ०/कृषि सहायक हेतु आवासीय भवन	03/2013	120628
	चौड़ीकोट में सामुदायिक विपणन केन्द्र	03/2013	270252
	रौलमेल में सामुदायिक विपणन केन्द्र	03/2013	249360
	खर्ककार्की में सामुदायिक विपणन केन्द्र	03/2013	258063
	विकासखण्ड कार्यालय भवन लोहाघाट	03/2013	490914
	विकासखण्ड कार्यालय भवन चम्पावत	03/2013	2468162
राजस्व	जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क	05/2008	93092
	कलेक्ट्रेट परिसर चम्पावत में आपातकालीन परिचालन केन्द्र	05/2008	48344
	विकास भवन चम्पावत में रैनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण	05/2008	80761
पशुपालन	पशुसेवाकेन्द्र चौड़ामेहता में शौचालय एवं चाहरदीवारी का निर्माण	12/2016	237495
	पशु प्रजननकेन्द्र नारियालगाँव में बद्रीगायसंबर्धन अंतर्गत कार्य	01/2017	3049472
युवा कल्याण	क्षेत्र पंचायत कालीगाँव हेतु खेल भवन	02/2014	58181
शिक्षा	जी०आई०सी० चौड़ामेहता	08/2010	57460
	रा०महा०टनकपुर के अना० भवन का निर्माण	12/2012	117621
	रा०इ०का० चम्पावत में कक्षाकक्ष/ओड़ीटोरियम एवं विस्तारीकरण	05/2016	369439
बी०ए०डी०पी०	ग्रा०पं० आमनी,तामलीकारी में अ०जा०ग्रा०पं०वोयल में शौचालय	09/2012	443393
	ग्रा०पं० शियापाउड्री में पूर्व मा० वि० का जीर्णोद्धार कार्य	09/2012	88365
	ग्रा०पं०पोवा के अ०जा०जू०हा०एवं गंगेश्वरप्रा०वि० में सुरक्षा दीवार	09/2012	91587
	अति०प्रा० स्वा० केन्द्र तामली हेतु दो कक्षों का निर्माण	12/2016	251295
	ग्रा०पं० पोथ के गंगशीर में पुलिया का निर्माण	12/2016	105001
	ग्रा०पं० देवीपुरा में पुल का निर्माण	12/2016	209381
	ग्रा०पं० तरकुली के ग्राम आमड़ा में पुल निर्माण	12/2016	110003
	ग्रा०पं० गुरुखोलीगूठ में सामुदायिक भवन का निर्माण	12/2016	286033
	ग्रा०पं० मंच में खेल का मैदान	12/2016	500000
	ग्रा०पं०बम के ग्रामचिड़ियाघाल में विश्रामगृह एवं शौचालयनिर्माण	12/2016	189411
	ग्रा०पं० जाखजिंडी के तोकदोवरा में पेयजल निर्माण	12/2016	189395
	ग्रा०पं० चमोलागाड़ में पुलिया निर्माण	12/2016	130985
	ग्रा०पं०नकोट के कालसन में ग्राम रौसाल,मडलक,दिगालीचौड़ में एक-एक शौचालय निर्माण	12/2016	160492
योग			**132,95,339**

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की कुल संख्या	भाग-II (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-II (ब) प्रस्तर संख्या	STAN
SS/AIR-127/14-15	2	---	1	1
SS/AIR-66/16-17	2	---	1,2	---
SS/AIR-215/17-18	5	---	1,2,3,4,5	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/AIR-127/14-15	भाग-2(अ) प्रस्तर सं.-NIL भाग-दो(ब) प्रस्तर सं.-1 STAN- 1	लंबित ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों के अनुमोदन पश्चात लेखापरीक्षा को प्रेषित की जायेगी।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	---
SS/AIR-66/16-17	भाग-2(अ) प्रस्तर सं.-NIL भाग-दो(ब) प्रस्तर सं.-1,2	तदैव	तदैव	---
SS/AIR-215/17-18	भाग-2(अ) प्रस्तर सं.-NIL भाग-दो(ब) प्रस्तर सं.-1,2,3,4,5	तदैव	तदैव	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- चम्पावत में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(i) शून्य

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया |**

क्रम स°	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1-	श्री युवराज सिंह,	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से दिनांक 24.07.18
2-	श्री अमित भारतीय	अधिशासी अभियंता	25.07.18 से 24.01.19
3-	श्री के.के. जोशी	अधिशासी अभियंता	25.01.19 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकर(ले°प°) उत्तराखंड महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.